



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान — 335702

सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष / Phone: 01498-61202,

वेबसाइट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक:- के.रा.फा./ जैत/ 13-21/Horti./Forestry Plantation/2024-25

दिनांक :-05-09-2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला अनूपगढ़ (राजस्थान) में 2 50,000 नं. वानिकी पौधों का पौधा रोपण का कार्य (थाला बनाना, पौधा रोपण करना, पानी डालना, देखरेख संबंधित कार्य को करना इत्यादि।) फार्म के खण्ड एक, दो व तीन में किया जाना है। जिसके लिए पौधे फार्म पौधशाला से मिलेंगे। (पौधों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है।) उपलब्ध पौधे लगाने के लिए इच्छुक ठेकेदार से सीलबंद निविदाएं दिनांक: 12-09-2024 को दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 02:30 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 12-09-2024 को 12.30 बजे किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए प्रति खंड रुपये 30,000 / (तीस हजार रुपये मात्र) बैंक डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS, जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि निगम के खाते में जमा होने के बाद NEFT/RTGS के माध्यम से लौटा दी जाएगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट <http://indiaseeds.eproc.in> पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 236.00/- (Tender fee 200 + 18% GST) /NEFT/RTGS, के माध्यम से जमा करवान व पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रभारी उत्पादन

कृते फार्म प्रमुख

फार्म में पौधे रोपण की नियम व शर्तें-

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड एवम् बैंक डायरी की स्पष्ट छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य है। तथा पत्र व्यवहार का पूर्ण स्थाई पता लिखित रूप में दिया जाना है। यदि निविदादाता या ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों। वह भी सलग्न किये जाने हैं।
2. निविदा दाता को फार्म के तीनों खण्डों में **50,000/-** पौधे लगाने के लिए धरोहर राशि, प्रति खंड 30,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि 'राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884), पर देय हो जमा/सलग्न करानी होगी, अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करनी होगी।
3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी। असफल निविदादाता की धरोहर राशि उसके खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी एवं सफल निविदा दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक व पूर्ण होने पर लौटाई जाएगी। उक्त कार्य हेतु जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. सफल निविदा दाता को फार्म के नाले-खाले, बट व माइनर के साथ, फार्म बाउंड्री पर चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा निर्देशित स्थानों पर 1X1X1 फीट के गड्ढे खोदने के पश्चात् फार्म द्वारा उपलब्ध गोबर की खाद मिट्टी में मिश्रित कर, गड्ढों को भरकर पौधे लगाना, पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए, थाला बनाना कम से कम एक बार में 8-10 लीटर पानी डालना व उनकी देख-रेख 90 दिन के बाद गिनती करवाकर सपूर्द करने तक करनी होगी, इस अवधि के दौरान एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देना व पौधों की देखभाल करने का कार्य करना होगा।
5. ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे पौधे ढोने के लिए वाहन, कस्सी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने होंगे, फार्म विशिष्ट संतति उद्यान/नर्सरी से पौधे उपलब्ध करवायेगा, जिसे ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा क्यारियों से निकलवायेगा तथा अपने स्तर पर लोड कर रोपण के स्थान तक ले जाएगा। थैली को नीचे से फाड़कर ही पौधों का रोपण करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि पिण्डी खराब नहीं होनी चाहिए।
6. खण्ड में खण्ड प्रभारी व चक प्रभारी की देख-रेख में यह कार्य करना होगा। कार्य आदेश मिलने के बाद 60 दिन तक कार्य पूरा करना होगा। बिल का भुगतान चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा पौधा रोपण के 90 दिन बाद पौधों की गिनती करके किया जावेगा। गिनती के समय जीवित पाए गए पौधों का ही भुगतान किया जाएगा। गिनती के समय ठेकेदार स्वयं वहां उपस्थित होगा। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान-माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. पौधारोपण किए जाने वाले पौधों की संख्या को घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है।
8. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।
9. फार्म प्रमुख बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त कर सकता है।
10. अगर कोई ठेकेदार कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर जाता है तो इस कार्य को किसी अन्य/दूसरे ठेकेदार से करवा लिया जावेगा। अगर इस पर फार्म को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से कर ली जावेगी। कार्य आदेश मिलने पर पौधे लगाने का कार्य 60 दिन में पूर्ण करना होगा।
11. ठेकेदार को रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा। यह स्वीकृति आदेश मिलने के 7 दिन के अंदर अनुबंध करना होगा, तदोपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

12. दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई. इत्यादी श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है।
14. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
15. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
16. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई(जड़ उपचार एवं पौधों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होंगे। पौधों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों को कम पर नहीं लगायेगा तथा खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
17. बाल श्रम(प्रतिषेध और विनिमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पिये मजदूरों को फार्म में कार्य पर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

18. ARBITRATION

यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा

सेवा में,
श्रीमान् फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर।

महोदय,

निविदा सूचना पत्रांक: के.रा.फा./ जैत./13-21/उद्यान /2024-25/ दिनांक: 05.09.2024 के संदर्भ में फार्म के खण्ड- एक, दो व तीन में पौधा रोपण का कार्य निम्नानुसार करने का इच्छुक हूँ। जिसके लिए निर्धारित नियम-शर्तों को पढ़ लिया एवं समझ लिया है। इस संदर्भ में जो निर्धारित नियम-शर्तें हैं वह मुझे मान्य हैं। मैं अपनी प्रस्तावित दरे निम्नानुसार दे रहा हूँ-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल पौधा सं- 50,000 खंड नं.- एक, दो, तीन	दर रुपये प्रति पौधा लूंगा
1	फार्म की पौधशाला से पौधे उखाड़ना, लादना व उतारना, स्वयं के साधन से पौधे लगाने वाली जगह पर ले जाना व सम्बन्धित खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी द्वारा बताये गये स्थान पर स्वयं के साधन, मजदूरों द्वारा गड्ढे खोदना व गड्ढों में पौधे लगाना आवश्यकतानुसार पानी लगाना, देखरेख करना, उपलब्ध दवा का प्रयोग स्वयं के साधन द्वारा करना इत्यादि।	खंड नं- एक 10,000 पौधा	
		खंड नं- दो 20,000 पौधा	
		खंड नं-तीन 20,000 पौधा	

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थाई पता.....

.....

मो० नं०.....